125
6/9/12

खण्ड–5

संख्या– 16,17,18

नवम्

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

भाग –1

कार्यवाही प्रश्नोत्तर

सत्यमेव जयते

वृहस्पतिवार, दिनांक 11 सितम्बर, 1986 ई०
शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर, 1986 ई0
शनिवार, दिनांक 13 सितम्बर 1986 ई0

किया जायगा।

योजना का कार्यान्वयन :

श्री शमरेश सिंह : क्या नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 1984–85 में धनबाद जिले में चास जलापूर्ति योजना कुल 3.5 (साढ़े तीन) करोड की स्वीकृति हुयी थी;

2 क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित योजना के तहत अबतक कोई कार्य नहीं शुरू हुआ है;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बन्दीशंकर सिंह : 1. वस्तु स्थिति यह है कि चास जलापूर्त्ति योजना का प्राक्कलन लोक स्वा. अभि. विभाग द्वारा 1979–80 में बनाया गया था। इसकी प्राक्कलित राशि 1,23,00,000 रु० की थी। यह ठीक नहीं है कि इस योजना की स्वीकृति 1984–85 वर्ष में 3,50,00,000 रु० की लागत पर दी गयी थी।

2. इसका प्रश्न नहीं उठता है।

3. चास बोकारो क्षे. के विकास के लिये अपर मुख्य सचिव ने दिनांक 7.7.85 को एक विचार विमर्श का आयोजन किया था जिसमें सरकार के उच्च पदा. के साथ प्रबन्ध निदेशक, बोकारो,

स्टील ने भाग लिया था। इस बैठक में चास के लिये अलग जलापूर्ति योजना कार्यान्वित किये जाने पर बल दिया गया था। विभागीय पत्रांक 3251 दिनांक 6.2.85 के द्वारा लोक स्व. अभि.विभाग से इस योजना के प्राक्कलन को पुनरीक्षित करने का अनुरोध किया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर निधि की उपलब्धता को देखते हुये योजना की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई :

श्री बंदी उरांव : क्या नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

1. क्या यह बात सही है कि नगरपालिका गुमला द्वारा धांटी बगीचा पथ पर नाली का निर्माण कार्य अभी कराया जा रहा है;

2. क्या यह बात सही है कि नाली निर्माण कार्य वार्ड आयुक्तों के अनुमोदन के बिना ही प्राक्कलन के अनुसार नहीं कराया गया है और उपायुक्त गुमला ने दो माह पूर्व लिखित आदेश देकर निर्माण कार्य रोक दिया है;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार बिना वार्ड आयुक्तों के अनुमोदन के प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं कराने वाले दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों यदि हाँ, तो कबतक?

श्री बंदीशंकर सिंह : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है।